

निर्वाचन आयोग

अरुणालच प्रदेश और नागालैंड विधानसभा की खाली सीटों पर कराए जाने वाले उप-चुनावों का कार्यक्रम

Posted On: 29 JUN 2017 4:21PM by PIB Delhi

निम्नलिखित राज्य विधानसभाओं की विभिन्न सीटें रिक्त हैं, जिन पर निर्वाचन कराया जाना है:

क्र.सं.	राज्य	राज्य विधानसभा की संख्या और नाम
1	अरुणाचल प्रदेश	12 - पक्के केसंग (एसटी) एसी
2	नगालैंड	10-उत्तरी अंगामी-। (एसटी) एसी

मौसम की स्थिति, स्थानीय त्यौहार, मतदाता सूची आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के लिए उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया है, इस संबंध में निर्धारित कार्यक्रम निमनलिखित हैं:

क्र.सं.	कार्यक्रम	
		दिनांक
1	अधिसूचना जारी होने की तिथि	05.07.2017 (बुधवार)
2	नामांकन की अंतिम तिथि	12.07.2017 (बुधवार)
3	नामांकन की जांच की तिथि	13.07.2017 (गुरुवार)
4	नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	15.07.2017 (शनिवार)
5	मतदान की तिथि	29.07.2017 (शनिवार)
6	मतगणना की तिथि	03.08.2017 (गुरुवार)
7	निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि	05.08.2017 (शनिवार)
8	चुनाव का समय	सुबह 07.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

मतदाता सूची

01-01-2017 के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड की मतदाता सूची क्रमशः 11-01-2017 तथा 10.01.2017 को प्रकाशित की जा चुकी है। इन राज्यों में मौजूदा मतदाता सूची के साथ चुनाव कराया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

आयोग ने उपरोक्त उप-चुनावों के दौरान सभी बूथों पर ईवीएम के ज़रिए मतदान कराने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की गई है, और इन मशीनों की मदद से निष्पक्ष एवं स्वच्छ मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं।

मतदाताओं की पहचान

पूर्व में अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त उप-चुनावों के दौरान मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मदाताओं की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रमुख दस्तावेज होगा, हालांकि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, मगर उसके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में उप-चुनाव के समय किसी अन्य पहचान दस्तावेज़ से जिए मतदान किए जाने के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

जिस भी जिले में संसद/विधानसभा के रिक्त पद के निर्वाचन होना है, वहां तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, हालांकि आयोग की 26 अप्रैल 2012 की अधिसूचना संख्या 437/ आईएनएसटी/2012/सीसीएंडबीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अंतर्गत इसमें आंशिक संशोधन किए जा सकते हैं। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल एवं संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगा। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के संबंध में केन्द्र सरकार पर भी लागू होगा।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

वीके/केजे/एसकेपी - 1890

(Release ID: 1494077) Visitor Counter : 5

f

y

 \odot

M

in